प्रकीर्ण वाद संख्या २२४ वर्ष २०२० (एम.ए.सी.पी. सं. २२५ वर्ष २०१७)
मंगल सिंह बनाम चंद्र कुमार गंगवानी आदि
०८.१२.२०२०

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थी/याची मंगल सिंह द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा ₹ १५,८५,७०१ प्रतिकर धनराशि बैंक में जमा कर दी गयी है, जिसमें से याची को २५ प्रतिशत धनराशि ही नकद दी गई है। जबकि याची की लड़की कुमारी मोनिका की शादी दिनाँक ०६.१२.२०२० को होना है। याची के पास विवाह में खर्च करने के लिये कोई धनराशि नही है। अतः याची ने प्रार्थना की कि उसे उक्त जमाशुदा धनराशि का ५० प्रतिशत नकद दिये जाने की कृपा की जाय। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र ४सी२ व शादी का कार्ड दाखिल किया गया है।

प्रार्थी मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा एम.ए.सी.पी. सं. २२५ वर्ष २०१७ मंगल सिंह बनाम चन्द्र कुमार गंगवानी व प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। चूँकि प्रतिकर की २५ प्रतिशत धनराशि प्रार्थी/याची को उसके बैंक खाते में इलैक्ट्रॉनिक मोड से नगद स्थानान्तरित किये जा चुके है और यह धनराशी विवाह के लिए पर्याप्त है अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र ३ बी निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का ३बी प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.12.08 15:31:15 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI